कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2023 / एफसीए / प्रमुवसं / 710 दिनांक 11/03/24

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः–Diversion of 0.0585 ha. of forest land for Laying of OFC Cable blowing work for Telesonic Connectivty from near Shastri nagar, Vishveshwar mahadev Lohagal road to Lohagal panchsheel road Nr.kabir Nagar, Ajmer of Total length 1950 mtr.
(प्रस्ताव सं. FP/RJ/OFC/44409/2020)

संदर्भः– विशिष्ठ शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प. 1(83)वन / 2020 जयपुर दिनांक 06.01.2021

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी आक्षेप मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 979 दिनांक 23.02.2024 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.स.	आक्षेप	सूचना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी है, जो संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूति नहीं की जायेगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है जो संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरणं सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है (प्रति संलग्न)
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारादिनांक 07.11. 2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी मे प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियांस्थानीय निकाय, पंचायत एवंनगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना की जा चुकी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। **(प्रति संलग्न है।)**

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2023/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

393/86

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

Azadi Ka Amrit Mahotsav

दिनांकः– 23/02/24

क्रमांक एफ 11(61A)एफसीए/मुवसअ/2024 /979

निमित्त,

श्रीमान अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः Diversion of 0.0585 hectare forest land for Laying of OFC Cable Blowing work for Telesonic Connectivity from near shastri Nagar, Vishveshwar Mahavev, Vishveshwar Mahadev, Lohagal Road to Lohagal Panchsheel road, Nr. Kabir Nagar, Ajmer of Total length 1950 Mtr. Forest Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980.Proposal No FP/RJ/OFC/44409/2020

संदर्भ : उप वन संरक्षक, अजमेर का पत्रांक 1495 दिनांक 20.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(83)वन/2020 जयपुर दिनांक 06.01.2021 द्वारा उक्त प्रकरण में 0.0585 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गई शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप वन संरक्षक, अजमेर के माध्यम से प्राप्त हुई है जो निम्नानसुार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है–

क्र.स.	राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(83)वन/2020 जयपुर दिनांक 06.01.2021 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त	पालना द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वनविभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्णपालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**

RajKaj Ref 5782082

Signature valid

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.02.23 17:01:22 IST
Reason: Approved

OFC 28/02

82 29/02/24

6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर के पत्रांक 2671 दिनांक 22.03.2023 द्वारा जारी किया गया एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र मय कार्यवाही विवरण संलग्न किया है। **प्रमाण पत्र मय कार्यवाही विवरण सलंग्न**
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवंपर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारादिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी मे प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियांस्थानीय निकाय, पंचायत एवंनगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना की जा चुकीहै। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। **प्रति संलग्न।**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार दो सेट मूल।

भवदीय
(एस.पी. सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

Signature valid

RajKaj Ref
5782082

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.02.23 17:01:22 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18( )एफसीए/उवसं/2023–24/ 1495 दिनांक :– 20/02/24

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– Diversion of 0.0585 hectare forest land for Laying of OFC Cable Blowing work for Telesonic Connectivity from near shastri Nagar, Vishveshwar Mahavev, Vishveshwar Mahadev, Lohagal Road to Lohagal Panchsheel road, Nr. Kabir Nagar, Ajmer of Total length 1950 Mtr. Forest Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980.Proposal No FP/RJ/OFC/44409/2020

संदर्भः– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना दिनांक 10.05.2023 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, द्वारा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(83)वन/2020 जयपुर दिनांक 06.01.2021 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना प्रस्तुत की है। इस क्रम मे बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही मय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत जवाब मय अण्डरटेकिंग 3 मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित हैः–

क्र.स.	राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(83)वन/2020 जयपुर दिनांक 06.01.2021 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त	पालना द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वनविभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्णपालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त की पूर्ण पालना की जावेगी। **अन्डरटेकिंग सलंग्न**
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर के पत्रांक 2671 दिनांक 22.03.2023 द्वारा जारी किया गया एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र मय कार्यवाही विवरण संलग्न किया है। **प्रमाण पत्र मय कार्यवाही**

891

D:\

FCA 20/2
20/2
20/2/23

		विवरण सलंग्न
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवंपर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारादिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी मे प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियांस्थानीय निकाय, पंचायत एवंनगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना की जा चुकीहै। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। **प्रति संलग्न।**

संलग्नः– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत जवाब तीन प्रति मे मय अण्डरटेकिग।

भवदीय,

(सुगना राम जाट)
उप वन सरंक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम/ दिनांकः–

1. प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन सरंक्षक
अजमेर

D:\

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-१ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (१) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

2

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-२ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (२) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

3

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-३ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (३) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास क्षेत्र की वनस्पतियों को एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-४ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (४) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाएग। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

5

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-५ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (५) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

6

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-६ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (६) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति ना हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

7

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-७ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (७) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020

दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-८ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (८) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.03.2023 का कार्यवाही विवरण :–

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.03.2023 को दोपहर 01:00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :–

प्रस्ताव :– अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, के–21, सन्नी हाऊस, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर ने पत्र दिनांक 01.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि कम्पनी द्वारा अजमेर शहर में शास्त्रीनगर विश्वेश्वर महादेव मन्दिर के पास से लोहागल पंचशील चौराहा तक विद्यमान R.O.W. के भीतर ओपन ट्रेंच विधि द्वारा ऑप्टिकल केबल फाइबर बिछाने का कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त कार्य से प्रभावित हो रही **तहसील अजमेर के ग्राम लोहागल के खसरा नम्बर 1316 व 1983 में से 0.0585है0 वनभूमि** के प्रत्यर्पण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति दिनांक 02.02.2023 में प्रकरण में एफआरए प्रमाणपत्र जारी करने की अनुशंषा की गयी। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, के–21, सन्नी हाऊस, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर द्वारा चाहा जा रहा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	जिला कलक्टर अजमेर	उपखण्ड अधिकारी अजमेर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड

25.5.23
प्रेषक लिपिक
तहसील अजमेर

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :– कअ/राजस्व/एफआरए/2023 2666-70

दिनांक :– 22.03.2023

प्रतिलिपिः–

निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. उप वन संरक्षक, वन विभाग, अजमेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
3. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर।
4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, के–21, सन्नी हाऊस, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर
5. अति. निजी सचिव, श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा
कलेक्ट्रेट, अजमेर

10

Annex-1

Form- 1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Ajmer

No.: CA/Rev/FRA/2023 2671. Date. 22.03.2023.

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.0585Hectare of Forest Land of Village Lohagal of Tehsil Ajmer Forest Division Ajmer** proposed to be **diverted in favour of Authorised Signatory, Telesonic Networks Limited, K-27, Sunny House, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur for** Diversion of 0.0585 hectare of forest area for laying optical fibre cable on road (laying underground Optical Fibre Cable along side road by open trench method within existing ROW from Vishveshwar Mahadev Mandir Near Shastri Nagar to Lohagal Panchsheel Chouraha in Ajmer City.
It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire **0.0585 Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residning in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to **annexure**.
(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.
(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

(Ansh Deep)
District Collector, AJMER

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

No Mask -No Entry

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक : उखअ / राजस्व / 2023 / 385 दिनांक 2/2/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.02.2023 का कार्यवाही विवरण :--

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.02.2023 को अपह्रान 3:00 बजे उपखण्ड अधिकारी अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव की चर्चा की गई।

प्रस्ताव :--श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्र क्रमांक / कअ / राजस्व / 2022 / 16386 दिनांक 22.12.2022 से अवगत कराया गया कि टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.12.2022 से अजमेर शहर में विश्वेश्वर महादेव मंदिर से लोहागल पंचशील रोड चौराहा तक विद्यमान आर ओ डब्ल्यू में भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य हेतु 0.0585 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होना बताते हुए वन भूमि के प्रत्यर्पण का एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया हैं।

तहसीलदार अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम लोहागल के खसरा नं. 1316 को 1983 में होना बताया है। खसरा नं. 1316 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम एवं खसरा नं. 1983 वन विभाग के नाम दर्ज है।

क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमियों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी नही है।

अजमेर उपखण्ड में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति / समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमो में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता हैं। अतः टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा चाहा गया एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करने की सहमति उक्तानुसार भिजवाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर	अधिकृत प्रतिनिधि टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड	विकास अधिकारी, अजमेर ग्रामीण, अजमेर	तहसीलदार अजमेर

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी,
अजमेर

No Mask -No Entry

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / उखअ / राजस्व / 2023 / 386 दिनांक :– 2/2/2023

निमित्त :–

श्रीमान् अति. कलक्टर (प्रशासन) एवं
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा
कलेक्ट्रेट, अजमेर।

विषयः–ROW Permission Apply for laying optical fiber.

प्रसंगः– श्रीमान् के पत्रांक कअ / राजस्व / 2022 / 16386 दिनांक 22.12.20222 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवदेन हैं कि टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा उपखण्ड अजमेर के अजमेर शहर में विश्वेश्वंर महादेव मंदिर से लोहागल पंचशील रोड चौराहा तक विद्यमान आर ओ डब्ल्यू में भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य हेतु 0.0585 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होना बताते हुए वन भूमि के प्रत्यर्पण का एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया हैं।

अतः प्रस्तावित भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनुसूचित जाति / जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 की क्रियान्विति के संबंध में कोई दावा पेश नहीं होने के संबंध में जांच कर दिनांक 02.02.2023 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् को सादर प्रेषित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

12

NO MASK NO ENTRY

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार, अजमेर

tdr.ajmer@rajasthan.gov.in
tdrajmer@gmail.com

क्रमांक भू0अ0 / 2023 / 295

दिनांकः– 09-1-23

निमित्तः–

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अजमेर।

विषयः– ROW Permission Apply for laying optical fiber cable.
प्रसंगः– आपका पत्रांक उखअ / राजस्व / 22 / 6195 दिनांक 30.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा टेलिसोनिक नेटवर्क्स लि0 द्वारा अजमेर शहर में विश्वेश्वर महादेव मन्दिर से लोहागल पंचशील रोड चौराहा तक विद्यमान आर.ओ.डब्ल्यू. में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य हेतु 0.0585 है0 वन भूमि वन भूमि प्रभावित होना बताते हुए वन भूमि प्रत्यर्पण एवं वन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत भूमि की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड से जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का लोहागल, तहसील, अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का लोहागल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि प्रश्नगत भूमि शास्त्री नगर पुलिस चौकी से पंचशील तिराहे मौड तक की भूमि ग्राम लोहागल के ख0न0 1316 व 1983 में से होकर स्थित है। ख0न0 1316 सार्वजनिक निर्माण विभाग व ख0न0 1983 वन विभाग के नाम दर्ज है। मौके पर सडक बनी हुई है। अतः पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट की छयाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान् को सादर प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार, अजमेर
तहसीलदार, अजमेर

विवाद प्रकार

तो ही श्रीमान को सोशकर निवेदन है कि प्रार्थनात भूमि शार-लीनगर पुलिस थाना से पंचमोला तिराहे मोड तक की भूमि ग्राम लोहागल के ख०नं० 1316 व 1983 में जो होकर स्थित है। ख०नं० 1316 सार्वजनिक निर्माण विभाग व ख०नं० 1983 वन विभाग के नाम दर्ज है। मौके पर सड़क बनी हुई है।

ह०

प० लोहागल

08/01/23

13

NO MASK NO ENTRY

राजस्थान सरकार

14

कार्यालय तहसीलदार, अजमेर

tdr.ajmer@rajasthan.gov.in
tdrajmer@gmail.com

क्रमांक भू0अ0 / 2023 / 215

दिनांकः— 09-1-23

निमित्तः—

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अजमेर।

विषयः— ROW Permission Apply for laying optical fiber cable.
प्रसंगः— आपका पत्रांक उखअ / राजस्व / 22 / 6195 दिनांक 30.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा टेलिसोनिक नेटवर्क्स लि0 द्वारा अजमेर शहर में विश्वेश्वर महादेव मन्दिर से लोहागल पंचशील रोड चौराहा तक विद्यमान आर.ओ.डब्ल्यू. में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य हेतु 0.0585 है0 वन भूमि वन भूमि प्रभावित होना बताते हुए वन भूमि प्रत्यर्पण एवं वन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत भूमि की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड से जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का लोहागल, तहसील, अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का लोहागल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि प्रश्नगत भूमि शास्त्री नगर पुलिस चौकी से पंचशील तिराहे मोड तक की भूमि ग्राम लोहागल के ख0न0 1316 व 1983 में से होकर स्थित है। ख0न0 1316 सार्वजनिक निर्माण विभाग व ख0न0 1983 वन विभाग के नाम दर्ज है। मौके पर सडक बनी हुई है। अतः पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट की छयाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान् को सादर प्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार, अजमेर

तहसीलदार, अजमेर

15

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-९ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (९) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ FRA सर्टिफिकेट प्रस्तुत कराएगा। तदुपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

16

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-१० का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (१०) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

17

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/44409/2020 दिनांक : 10/05/2023

Project Name :- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for laying of OFC cable blowing work for Telesonic connectivity from near Shastri Nagar, Vishveshwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Panchsheel road Nr. Kabir Nagar Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/44409/2020

Applied Area :- 0.0585 ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-११ का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.१ (८३) वन /२०२० दिनांक ०६/०१/२०२१ के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (११) की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक ७-२३ / २०१२ / एफसी दिनांक २४/०७/२०१३ से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक ०७/११/२०१२ को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिंदी समाचार पत्र - महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करवा दिया गया है। समाचार पत्र की प्रतियां संलग्न हैं। जारी स्वीकृति की फोटो प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

भवदीय
For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

NOTICE FOR CHANGE OF OFFICE ADDRESS

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LIMITED)
Registered Office : 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1 Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune - 411036, Maharashtra
CIN : U65922PN2004PLC208751
Tel : 020 67808091 • **Website :** www.poonawallahousing.com

All our customer(s), policyholder(s) and public at large are hereby informed that branch at **Jaipur (Rajasthan)** will be relocated from its present address given hereunder. The existing address will be available for a period of 90 days from the date of this notice for any correspondence.

Old Office Address	Relocated Address
Office No. 608, 6th Floor, Green House 015, Ashok Marg, Jaipur Rajasthan–302001	International Business Centre, 8th Floor, K-14 A,B,C Ashok Marg, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur Rajasthan– 302001

Any person(s) having any queries or unresolved issues with this branch can contact us at the above mentioned **Relocated Address**. Relocated branch is open from December 23, 2022.

Reach us on 1800-266-3204 (Toll Free) or e-mail at customercare@poonawallahousing.com

LIC HOUSING FINANCE LTD.

LICHFL 1st Floor, Aman Tower, Residency Road, Near Jaljog Circle, Jodhpur. Ph.: 0291-2639632

(APPENDIX IV- (See Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas The undersigned being the authorized officer of the **LIC Housing Finance Ltd,** under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated **20.05.2022** calling upon the Borrowers/Co-Borrower/Mortgagor/Guarantor **Mr. Mahesh Kumar Shobhawat, Mr. Rakesh Sharma & Mr. Chhotu Ram Jat** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 24,79,222.43 (Rupees Twenty Four Lakh Seventy Nine Thousand Two Hundred Twenty Two and Paisa Forty Three Only)** as on **20.05.2022** payable with further interest and expenses until payment in full, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules on this **04th day of May of the year 2023.**

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower and guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **LIC Housing Finance Ltd**, for an amount of being **Rs. 24,79,222.43 (Rupees Twenty Four Lakh Seventy Nine Thousand Two Hundred Twenty Two and Paisa Forty Three Only)** as on **20.05.2022** and payable together with further interest and costs thereon until payments/realization in full.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All the part and parcel of the residential property of Mr. Rakesh Sharma & Mr. Mahesh Kumar Shobhawat located at Plot No. 38, Part of Khasra No. 417/7 & 417/8, Shri Ram Colony, Village Sawatsar, Madanganj, Kishangarh, District Ajmer, Rajasthan Admeasuring about 200.00 Sq. Yds. Bounded by East: Plot No. 41, West: Road 30 ft, North: Plot No. 46, South: Gali 10 ft wide

Date: 04.05.2023 Place: Ajmer **Authorized officer, LIC Housing Finance LTD**

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (83) वन/2020 जयपुर, दिनांक: 6 जनवरी 2021

For Telesonic Networks Limited

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for Laying of OFC Cable blowing work for Telesonic Connectivity from near Shastri Nagar, Vishvehwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Pancsheel road Nr. Kabir Nagar, Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

Authorised Signatory

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (393/36)2020/एफसीए/प्रमुवस/2445 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Nerworks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.0585 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0585 ha. of forest land for Laying of OFC Cable blowing work for Telesonic Connectivity from near Shastri Nagar, Vishvehwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Pancsheel road Nr. Kabir Nagar, Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:— 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (पी.एस. बिश्नोई) संयुक्त शासन सचिव

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

POSSESSION NOTICE

Chola — CHOLAMANDALAM INVESTMENT AN

Enter a better life

Corporate Office : 1st Floor, 'Dare House', No. 2, N
Kota Branch Office: 1st Floor, Plot No 3C, Vallabh Na

POSSESSION NOTICE UNDER RUL

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Inv the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Sec Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of t issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indica Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with in receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice and the Public in general that the undersigned has taken possession of the propert Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise 13[4] of the Act read with Rule 9 of the Rules made there under. The borrowers in cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount me other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can rede outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

Sr. No.	Name and Address of Borrower & Loan Account Number	Date of Demand Notice	Outstar Amou
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Loan Account No. XOHERJA00001768158 & HEO2RJA00000004011, 1. MUKESH SUWALKA, 2. ANJALI SUWALKA, 3. GAJANAND SUWALKA, 4. SURAJ KALA, 5. RAJESH SUWALKA 6. URMILA SUWALKA All are Resident at:- PLOT NO. 66 BUNDI ROAD NEAR KAMLA UDHYAN RIDDHI SIDDHI ENCLAVE KUNHARI, KOTA - 324008. 7. M/S NEW SUWALKA TENT HOUSE (THROUGH PROPRIETOR MUKESH SUWALKA) Address:- RIDHRAJ TOWER KE PASS MAIN ROAD KUNHARI KOTA - 324008.	14.03.2022	Rs. 34,25,43 as on D 07.03.2 and Inte tehere

Date : 08.05.2023 Place : Kota FOR C

PUBLIC NOTI

ICICI Bank
ICICI Bank Limited

Registered office: Landmark, Race
Corporate office: ICICI Bank Towers
GOLD E-AUCTION CUM INVITATI

The below mentioned borrowers have been issued notice to pay off their outstan ornaments.("Facility") availed by them from ICICI Bank Limited ("ICICI Bank"). We are co ornaments on **May 20, 2023** as they have failed to repay the dues. ICICI Bank has the autho without any prior notice. Auction will be held online -**https://jewel-auction.procuretige** Terms and conditions, please log into given website. In case of deceased borrower, all cond

Loan A/C No.	Customer Name
Branch Name: Achrol - Nims University	
375205000569	Jitendra Kumar Yogi
Branch Name: Amet	
355205002977	Lila Kanwar
355205002979	Ramesh Ramesh
Branch Name: Bandanwara	
681005601596	Rampal
Branch Name: Barar	
665805601692	Manish Tak
Branch Name: Bassi	
064805003345	Bajrang Lal
064805003550	Kamlesh Kumar Meena
Branch Name: Beawar	
118205000665	Ravindara Singh
Branch Name: Beriyawali - Khajuwala	
407605002159	Ramesh Kumar
407605002185	Sandeep Kumar
Branch Name: Bikaner	
023405005165	Amar Jeet Singh
Branch Name: Bikaner M.P.Nagar	
670205601809	Subhash Saini
Branch Name: Bikaner,Gangashahar	
669805601097	Arun Kumar
Branch Name: Bikaner-Ambedkar Circle	
745205000595	Vinod Singh
Branch Name: Chirawa	
670505603210	Mohammed Ushman
Branch Name: Delwara	
667105604778	Modi Lal Dangi
Branch Name: Didwana	
174805004655	Madan Panwar
174805008450	Dilip Kumar
Branch Name: Gaon Guda	
667205600750	Kishan Singh Rajput
667205602133	Shambhu Bai

Loan A/C No.	Customer Name
Branch Name: Garbor	
667305602033	Narayan Rajpuro
Branch Name: Ghatwa	
670805602325	Mahipal Singh
670805602326	Kailash Kanwar
Branch Name: Hanumangarh Junction	
671005601895	Gurpreet Singh
Branch Name: Hindaun City	
686305606602	Veer Singh Mee
686305606606	Pawan Kumar Bhandari
686305606611	Vishnu Kumar
Branch Name: Jaipur-Vidyadharnagar	
065005002894	Dhannanjay Kum Mishra
Branch Name: Jaitaran	
379105000974	Yashpal Singh
Branch Name: Jaswantgarh	
671305605592	Siaknder Ali Kh
671305605945	Husaien Kha
Branch Name: Jhakhdewali	
671405600450	Lichhaman
Branch Name: Jhunjhunu	
079905001930	Rajani Na
Branch Name: Jobner	
679105601195	Mohan Na
Branch Name: Joosri	
671605602072	Yudhister N
671605602374	Mohammed S
671605602375	Zakir Ahme Rander
Branch Name: Kelwa	
667905601064	Jagdish Sin
Branch Name: Kota,Industr Estate	
687005602091	Kailash Cha Prajapat
Branch Name: Kotputli	
065205005487	Sanju Na

Date : 10.05.2023
Place : Ganganagar, Hanumangarh, Churu, Kota, Ajmer, Bikaner, Nagaur, Jhunjhunu, Karauli, Bundi, Jaipur, Pali, Rajsamand

HERO FIN

HeroFinCorp.

CIN: U7489
Registered Office: 34, Community Cent
Tel: 011-49487150 Fax: 011-494
Website: w

"APPENDIX IV-A" [SEE PROVISO TO RULE 8(6)] SALE NOTI
E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPE
RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT O
PROVISO TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the property mortgaged / charged to the Secured Creditor (Hero Fincorp Li which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor (Hero & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Bas as mentioned below, due to the Secured Creditor from the Borrower. Th money to be deposited is mentioned respectively.

Name of the Borrower (B) / Guarantors (G) / with Address	Addre co
1. M/s TMS Electronics Pvt. Ltd. 2. Mr. Rajan Mathur	Dwellin Akrid

minor, major and earthwork in cutting ting, construction of ings, other service rms, PF shelters, s, staff quarters, overhead RCC water Bridges, Road Under sings, supply of track linking of new BG turnouts, SEJs, P-way material and er ancillary civil and Chainage 90000 to awa Sardargarh and th including) in athdwara - Devgarh Conversion Project. नुमानित लागत : रूपये जमा की जाने वाली ये 1,00,00,000.00 5. करने की तिथि : 31. तक 6. वैबसाइट का -निविदा देखी व भरी www.ireps.gov.in 7. पता : dyce02udz

493-DG/23

NWRailways_पर फॉलो करें

जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना

मंडल रेल प्रबन्धक, गति शक्ति, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से ई–निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमो के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रो में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है– **ई–निविदा सूचना सं. 2023–24 : 05 कार्य का नाम व स्थान:** Tender for Provision of High Level Platform No. 2 with pathway for inter Platform movement of wheelchair at Dundara & Extension & Raising of P/F at Salawas, Janiyana & Extension of P/F at Basni over Jodhpur Division **अनुमानित लागत रूपये :** 5,58,15,787.49 **बयाने की राशि रूपये :** 4,29,100.00 निविदा सूचना संख्या **GSU- 05 of 2023-24** निविदा प्रस्तुत करने की तिथि **30.05.2023 को 15.00 बजे** तक है। वेबसाईट का विवरण जहाँ पर ई–निविदा देखी व भरी जा सकती है – www.ireps.gov.in

492-DG/23

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

थान राज्य पथ परिवहन निगम

र्यालय मुख्य प्रबन्धक, सी.बी.एस आगार, जयपुर।

निविदा सूचना

तीय बस स्टैण्ड, सिन्धी केम्प, जयपुर नवनिर्मित भवन में स्थित लाईसेन्सी नियुक्त किया जाना है। निविदा दिनांक 16/05/2023 को इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निगम वेबसाईड ajasthan.gov.in/rsrtc पर एवम् राज्य लोक उपापन पोर्टल han.gov.in पर (UBN.RTC2324SLOB00102) भी देखी जा सकती है।

/2023–24

/2039

मुख्य प्रबन्धक

प्रारूप-5

(नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगरपालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

16-17

आपत्ति आमंत्रण सूचना

दिनांक: 17.04.23

. श्री लक्ष्मी नारायण टेलर, निवासी-वार्ड नं. 23, कस्बा श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने ली भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये हैं।

	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
23	चर्तु सीमाएं पूरब में दुकान श्री श्यामलाल पंसारी की, पश्चिम में दुकान श्री बजरंगलाल पंसारी की, उत्तर में हवेली व खुली जगह श्री रामेश्वरलाल वगैरह पंसारी की एवं दक्षिण में 3'- 6'' का चबूतरा व आगे आम रास्ता होकर स्थित है।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब - पश्चिम 6'- 4'' एवं उत्तर-दक्षिण दक्षिण 17'- 6'' होकर कुल रकबा 10.29 वर्गमीटर है।

क्तियों को सूचित ... ता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क अभिप्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के टिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति को नुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.04.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5

(नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगरपालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

64

आपत्ति आमंत्रण सूचना

दिनांक: 9.5.23

नलाल, निवासी-वार्ड नं. 24, मौहल्ला पंसारियों का, कस्बा श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने ली भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये हैं।

	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
24	चर्तु सीमाएं पूरब में भूमि कयाल परिवार की, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आवास श्री रामगोपाल कयाल व अन्य का एवं दक्षिण में हिस्सा श्री दौलत खुराना पुत्र श्री चिमन लाल का व आगे आवास श्री कमला प्रसाद श्री ओमप्रकाश कयाल का होकर स्थित है।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब - पश्चिम 14'-9'' एवं उत्तर-दक्षिण दक्षिण 41'-6'' होकर कुल रकबा 56.88 वर्गमीटर है।

व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क अभिप्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के टिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति को नुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09.05.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी हैं।

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन 2023 (वर्ष) के फरवरी (मास) के ( ) दिन को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा

The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.

(A Government of Rajasthan Undertaking) Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005 Phone: 0141-2227079 Fax: 0141-2227257
Website: http://industries.rajasthan.gov.in/rajsico E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN- U91110RJ1961SGC001118

ई-निविदा सूचना 6/2023-24

UBN No. : RSI2324SLOB00006

राजस्थली दिल्ली, राजस्थली कोलकाता में 24 माह तथा राजस्थली, ओबेरॉय होटल मुम्बई में 36 माह के लिए गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर) के आधार पर निम्न राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री हेतु इच्छुक निविदादाताओं से ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है:–

(A)

राजस्थली दिल्ली – •राजस्थानी मूल्यवान व अर्द्धमूल्यवान रत्न व रत्न जड़ित आभूषण • राजस्थानी लाख की चूड़ियाँ व हस्त निर्मित लाख उत्पाद • राजस्थानी ब्लू पोटरी, टैराकोटा, पेपरमैसी इत्यादि•राजस्थानी रजाईयाँ •राजस्थानी जरी, गोटा एंव प्योर जडाउ ब्राईडल साडी •राजस्थानी मोजडी एंव चमडे के हस्तनिर्मित उत्पाद • राजस्थानी फोल्डर्स,डोल एंव हैंगिंग्स •पैक्ड फूड– राजस्थानी,खाने के आईटम्स जैसे पापड, भुजिया, अचार, ड्राई वैजीटेबल, एंव मेंहदी • राजस्थानी गलीचा, दरी व दरी उत्पाद • राजस्थानी मिरर वर्क एवं एम्ब्रोइटरी हस्तशिल्प उत्पाद।

राजस्थली कोलकाता– •राजस्थानी ब्रास व मैटल आईटम्स •राजस्थानी प्लेन सिल्वर व सिल्वर मीनाकारी ज्वैलरी • राजस्थानी रजाईयाँ• राजस्थानी दरी व दरी उत्पाद • राजस्थानी हैण्डब्लोक प्रिन्टेड, टाई एण्ड डाई के सिले–सिलाऐ वस्त्र • सभी प्रकार की राजस्थानी साड़ीयाँ।

(B)

राजस्थली मुम्बई – गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर) (समस्त हस्त निर्मित राजस्थानी उत्पाद)

प्री–बिड मीटिंग की तिथि 15.5.23 को मध्यान्ह 12.00 बजे राजसिको के बोर्ड रूम में आयोजित की जावेगी। आवेदन की अन्तिम तिथि 25.5.23 को 1.00 बजे व खोलने की तिथि 25.5.23 को मध्यान्ह 3.00 बजे। पूर्ण जानकारी एवं निविदा के नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाइट **http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **www.rajsico.gov.in** देखे।

राज.संवाद/सी/23/2079 **प्रबन्ध निदेशक**

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (83) वन/2020 जयपुर, दिनांक: 6 जनवरी 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0585 ha. of forest land for Laying of OFC Cable blowing work for Telesonic Connectivity from near Shastri Nagar, Vishvehwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Pancsheel road Nr. Kabir Nagar, Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020).

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (393/36)2020/एफसीए/प्रमुवस/2445 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Nerworks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.0585 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0585 ha. of forest land for Laying of OFC Cable blowing work for Telesonic Connectivity from near Shastri Nagar, Vishvehwar Mahadev Lohagal road to Lohagal Pancsheel road Nr. Kabir Nagar, Ajmer. (FP/RJ/ROAD/44409/2020) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:— 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वनं विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति *प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।*

भवदीय (पी.एस. बिश्नोई) संयुक्त शासन सचिव

(... राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory